राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल– तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव
(आर०ए०एस०)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
62/2024	16.07.2024	13.11.2024

1. माया देवी पत्नी रतिराम निवासी रामबास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल –तिजारा ,राज0

– प्रार्थिया

बनाम

1.श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा , राज0

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम

// निर्णय //

13.11.2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय आदेश प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया ने अपना प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि –

आराजी हाल खसरा नम्बर 2672/1860/1 रकबा 0.26 है0 वाके ग्रम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा , राज0 में स्थित है। जो आराजी प्रार्थिया की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। तथा मिन प्रार्थीया के नाम का अंकन राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी के साथ लगती हुई है। आराजी खसरा नम्बर 2672/1860/3 गैर मुमकिन नाला व गैर मुमकिन सडक है जिसमें बरसात के मौसम में आये दिन डोल मिसमार होती रहती है और आराजी गैर मुमकिन नाला व सडक में मिल जाती है जिस कारण डोल मिसमार होने के कारण आराजी का सही सीमाज्ञान नहीं हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पाता जिस कारण प्रार्थीया ने पैमाइश के लिए रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को दी। श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर ने अपने आदेश कमांक भू0अ0 –24/95 दिनांक 04.07.24 की पालना में दिनांक 05.07.2024 को पैमाईश कराई और पैमाइश कर विवादित आराजी का मापन किया और मौका पर्चा पढककर सुनाया तथा पडोसियों से कोई विवाद नही है इसलिए उनको कोई पक्षकार नहीं बनाया। बरसात के मौसम में प्रार्थिया की आराजी की डोल मिसमार होकर नाले में मिल जाती है तथा आये दिन प्रार्थिया की आराजी को काफी नुकसान होता है। नाले का पानी सीधा प्रार्थिया के खेत में आता है जिससे फसल वगैरह बरबाद होती है। खेत का सीमाज्ञान नहीं होने से प्रार्थिया अपनी आराजी की मेडबंदी भी नहीं कर सकती। प्रार्थिया ने उक्त पैमाइस अनुसार सीमाज्ञान व पत्थर गढी हेतु दिनांक 11.07.2024 को तहसीलदार मुण्डावर से संपर्क किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने कहा कि आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से आदेश लेकर आओ जब तुम्हारी सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावेगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पैरोकार सरकार का जबाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार के जबाब में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकोर्ड की हद तक स्वीकार कर शेष तथ्य प्रार्थीया द्वारा स्वयं सिद्ध करने योग्य बताये हैं। इसके उपरान्त वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 से स्पस्ट है कि पटवारी हल्का ततारपुर द्वारा उक्त दिनांक को मौके पर जाकर पैमाइस की है मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बनता है। अतः यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 के मुताबिक मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल जिला लेख भण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

3-11-2024 आज पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित हैं कि उक्त निर्णय
समक्ष के खिलाफ जाकर दाखिल
पत्रावली किया जाकर गया। पत्रावली
फैसल हुआ रजिस्टर नम्बर से कम
हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर
अहकाम को सुनाया गया। [signature]